न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2022-178(GCMS2022-296)

1. गोबरराम पुत्र भैराराम जाति भील
2. देवाराम पुत्र सोनाराम जाति भील
   निवासीगण ग्राम प्रतापगढ, तहसील देचू
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भैराराम उर्फ लूणाराम पुत्र नैनाराम
2. ढेम्बाराम पुत्र देवाराम
3. गोरखाराम पुत्र पाबूराम
4. पप्पाराम पुत्र कालूराम के का.मु.
   4.1. भैराराम पुत्र पप्पाराम
   4.2. बालीदेवी पत्नी पप्पाराम
5. बंशाराम पुत्र कालूराम
6. संवलराम पुत्र कालूराम
7. जसाराम पुत्र कालूराम
8. ओमाराम पुत्र राणाराम
9. नराराम पुत्र राणाराम
10. धनाराम पुत्र राणाराम
11. बागाराम पुत्र राणाराम
12. मनोहरराम पुत्र राणाराम
13. सवाईराम पुत्र राणाराम
14. लाछो पत्नी राणाराम
15. अमोलकराम पुत्र सोनाराम
    सभी जाति भील, निवासीगण ग्राम प्रतापगढ
    तहसील देचू, जिला जोधपुर
16. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार शेरगढ

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ (वर्तमान उपखण्ड अधिकारी देचू) दिनांक 26 जुलाई 2016 प्रकरण संख्या 29/2016 अनवान भैराराम व अन्य बनाम गोरखाराम आदि

उपस्थित-
श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री ओ.पी.सोनी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 29 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (वर्तमान उपखण्ड अधिकारी देचू) द्वारा प्रकरण संख्या 29/2016 अनवान भेराराम व अन्य बनाम गोरखाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 26 जुलाई 2016 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थनापत्र भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत पेश किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. भैराराम आदि द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 191 रकबा 200 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा संख्या 192 रकबा 69 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा प्रतापगढ के संबंध में प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र संस्थित किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जुलाई 2016 पारित करते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इकतरफा पारित किया गया है, अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा खसरा संख्या 191 में अपने हिस्से की भूमि पर सिंचाई हेतु खुदवाये गये ट्युबवेल बाबत कृषि विद्युत कनेक्शन लेने के लिए किये आवेदन पर विद्युत विभाग द्वारा डिमाण्ड नोट जारी किया गया, जिसकी राशि जमा कराने हेतु विद्युत विभाग से सम्पर्क करने पर दिनांक 01 जुलाई 2022 को सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्काम देचू द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी देते हुए डिमाण्ड राशि जमा करने एवं कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने से इंकार कर दिया गया। जिससे अपीलाण्ट्स को अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई व्यवस्था एवं काश्त कार्य में गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति हो रही है। स्वयं रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय में अपने प्रार्थनापत्र में मौके पर पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश बाबत दिनांक 01 जुलाई 2022 के पूर्व अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 01 जुलाई 2022 को सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्काम देचू द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी देते हुए डिमाण्ड राशि जमा करने एवं कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने से इंकार किये जाने पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवश्यक कार्यवाही करते हुए आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जुलाई 2016 के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद काफी विलम्ब से अदालत हाजा में दिनांक 06 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की गयी है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत जो अपीलाण्ट गोबरराम के शपथपत्र सहित प्रार्थनापत्र भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिनांक 01 जुलाई 2022 को सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्काम देचू द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी देते हुए डिमाण्ड राशि जमा करने एवं कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने से इंकार किये जाने पर अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी होना दर्शाया गया है, जो सरासर मिथ्या एवं झूठ लिखा गया है क्योंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट गोबरराम बतौर अप्रार्थी संख्या 1 पक्षकार रहा है और दिनांक 07 नवम्बर 2017 को ही विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित हो गये थे, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दिनांक 07 नवम्बर 2017, दिनांक 22 जनवरी 2019, दिनांक 26 मार्च 2019 आदि की आदेशिकाओं से होती है। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21 मई 2019 के अनुसार अपीलाण्ट-अप्रार्थी गोबरराम व अन्य अप्रार्थीगण की ओर से जबाब-प्रार्थनापत्र भी पेश हुआ है जिस पर बतौर अपीलाण्ट-अप्रार्थी गोबरराम का अंगुष्ठ निशान किया हुआ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन परिस्थितियों में झूठे एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलाण्ट्स तदनुसार खारिज की जावे। गुणावगुण के संबंध में भी अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि के भू-भाग विशेष पर ट्युबवेल एवं कृषि विद्युत कनेक्शन कराये जाने से मूल वाद के निस्तारण में अनावश्यक पेचीदगियां बढेगी। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि में ट्युबवेल निर्मित करवा लिया जाना प्रकट होता है, जिसके लिए विद्युत कनेक्शन के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा डिमाण्ड नोट भी जारी किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इकतरफा अंतरिम आदेश दिनांक 26 जुलाई 2016 को पारित किया गया है, तब से वर्तमान तक काफी अरसा गुजर जाने के उपरान्त भी उभयपक्षकारान की सुनवाई कर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण नही किया गया है।

इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर समय-समय पर विभिन्न प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा धारित मतानुसार नरम रूख अख्तियार करते अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है और अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाण्ट्स के पक्ष में नियमानुसार कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यथास्थिति बनाये रखने बाबत न्यायालय द्वारा पारित इकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26 जुलाई 2016 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी दो माह की अवधि में उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का नियमानुसार न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर